FORM NO. II

फर्द इहकाम

(नियम 26)

जज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम मलसीसर

राहुल कुमार **बनाम** अयुबखां पुत्र कासमखां व अन्य

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अ0धारा 212 राज0काश्त0अधि0 व अ.आ.39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 जा. दी

न0 57/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.11.2021	यह प्रार्थना पत्र आज वादी की ओर से जरिये वकील श्री राजेश श्योराण बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना मय नकल प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड एडी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 15.12.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मलसीसर	
15/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को आगामी सुनवाई तिथि तक के लिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण का निवेदन स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वकील प्रार्थीगण का निवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक के लिए पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम बिसाऊ स्थित भूमि ख0न0 1843 रकबा 1.15 है0 में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति को बनाये रखें। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना मय नकल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.1.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मलसीसर	
18/1/22	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण Covid के कारण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 1/2/22 को पेश हो	
1/2/22	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 10/2/22 को पेश हो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/02/22	पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्तागण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 15/02/22 को पेश हो।
15/2/22	पत्रावली पेश हुई अनुसार उपरोक्त पत्रावली वादी के अभाव में आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [illegible] अधिकारी [illegible]